[श्री तारिक अनवर]

इन्हें मार डालना मामूली बात हो गई है। गृह मन्त्री जी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद दिल्ली में पिछले एक वर्ष में इस प्रकार की हुई आत्म-हत्याओं में लगभग सभी में पुलिस द्वारा 302 दफा की बजाय 306 में मामले दर्ज किए गये। ऐसा क्यों ?

यदि गृह मन्त्री जी तहेदिल से चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री जी की इच्छा के अनुकूल समाज से दहेज की बुराई समाप्त हो तो यह जरूरी है कि वह इस प्रकार के मामलों में स्वयं जानकारी लें कि अमुक केस दफा 302 में क्यों दर्ज नहीं किया गया और दोषी अधिकारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करें और इसी प्रकार के स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारों को भी भेजे जावें। केवल कहने से यह बीमारी दूर होने वाली नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं चाहूँगा कि गृह मन्त्री जी बतायें कि उन्होंने क्या कदम उठाये हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली): सदन में कदम उठाये हैं या सदन के बाहर गृह मन्त्री ने कदम उठाये हैं ?

(II) DEMAND FOR INCLUSION OF THE ADIVASIS 'KOL' CASTE IN THE LIST OF SCHEDULED TRIBES IN U. P.

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, इलाहाबाद, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर जनपदों में आदिवासी अत्यधिक संख्या में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण इन्हीं जिलों से लगा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य प्रदेशों में कोल (आदिवासी) अनुसूचित जन जाति की सूची में आते हैं किन्तु उत्तर प्रदेश में कोल (आदिवासी) अनुसूचित जाति में आते हैं। इन्हें जन जाति का दर्जा प्राप्त नहीं है जिससे इन्हें हर तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा हैं। नौकरी पढ़ाई आदि में अनुसूचित जन जाति की सुविधायें नहीं प्राप्त हो सकी हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल (आदिवासी) को अनुसूचित जन जाति में करने का निर्णय लिया है किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश को केन्द्र से स्वीकृति न मिलने से अड़चन बराबर बनी हुई है।

मेरा केन्द्रीय गृह मन्त्री जी से निवेदन है कि अविलम्ब उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर के कोल (आदि-वासी) जाति को अनुसूचित जन जाति की सूची में शामिल कर लें।

(III) ALLEGED DELAY IN ATTENDING TO COMPLAINTS ABOUT WORKING OF TELEPHONES IN VARANASI

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज वाराणसी में लगभग 50 प्रतिशत टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं। और खराब पड़े हुए हैं। यह स्थिति लगभग पिछले एक वर्ष से चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वाराणसी में टेलीफोन विभाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। टेलीफोन की शिकायतें अधिकतर दर्ज नहीं की जातीं और टेलीफोन खराब होने के बाद उपभोक्ताओं को 15, 15 दिन और 20, 20 दिन तक टेलीफोन मिस्त्री का इन्तजार करना पड़ता है। टेलीफोन मिस्त्री तभी टेलीफोन ठीक करने जाता है, जब उपभोक्ता दफ्तर में जाकर काम करने वालों को खुश करते हैं। टेलीफोन विभाग के अधिकारियों को भी सरकार और शासन का कोई भय नहीं रह

गया है, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ।

कुछ महीने पहले मैंने संचार मन्त्री से वाराणसी की टेलीफोन व्यवस्था की शिकायत की थी और विशेष कर मैंने अपने टेलीफोन नम्बरों 66606 तथा 65864 के बराबर खराब होने की बात बताई थी। जब संचार मन्त्री का पत्र वाराणसी पहुँचा तो उस समय मेरे खराब टेलीफोन को ठीक कर दिया गया। संचार मंत्री ने मुझे उत्तर दिया था कि आपका टेलीफोन ठीक कर दिया गया है और उसकी बराबर देख-रेख की जा रही है। इसके बाद मेरे दोनों टेली-फोन पुनः खराब हो गये हैं और शिकायतों के बावजूद उन्हें ठीक नहीं किया गया।

टेलीफोन नं० 65864 महीनों डैड पड़ा रहा। पुनः मैंने संचार मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराया। लगभग एक महीना बीत जाने के बाद मुझे वाराणसी के डी ई फोन्स का एक पत्र मिला कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है और भविष्य में आप टेलीफोन की शिकायत के लिए एस डी ओ (फोन) तथा ए ई (फोन) से ही सम्पर्क कायम करें। इससे इस बात का पता चलता है कि संचार मंत्री की कार्यवाही का, जो भी कार्यवाही उन्होंने की हो, वाराणसी के टेलीफोन अधिकारियों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

वाराणसी का आठ नम्बर से शुरू होने वाला टेलीफोन तो शायद ही कभी मिलता हो। यही हाल 7 नम्बर से शुरू होने वाले टेलीफोन का है। वाराणसी के आस-पास के जिलों, गाजीपुर बलिया, आजमगढ़ आदि की ट्रंक लाइनें बराबर खराब रहती हैं। दिन-दिन भर इन्तजार करने के बाद भी टेलीफोन नहीं मिलता। अनेकों बार मैंने दिल्ली से अपने निर्वाचन क्षेत्र गाजीपुर ट्रंक काल करने की कोशिश की, मुझे बराबर जवाब मिला कि लखनऊ से गाजीपुर तथा वाराणसी से गाजीपुर की लाइनें खराब पड़ी हैं। मैं कभी भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के टेलीफोन से इधर कई महीनों से बात नहीं कर सका।

मैं सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ और मांग करता हूँ कि वाराणसी के टेलीफोन तथा वाराणसी के आस-पास के जिलों से सम्बन्धित ट्रंक व्यवस्था को अविलम्ब ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जाये ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिले।

(iv) ROBBERY INCIDENTS IN TRANS-YAMUNA COLONIES IN DELHI

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi): A serious case of robbery has taken place in Nirman Vihar, Swastiya Vihar and other trans-Yamuna colonies which has created great panic in the minds of the people. One person was killed and several injured including women and children. This area needs urgent attention for regular patrolling and other necessary effective steps for the protection of the people. The Police Stations in the trans-Yamuna area are ill-equipped from the point of view of manpower, vehicles and other requirements. Quick and effective steps may be taken to trace the culprits. The area borders Uttar Pradesh on two sides (Ghaziabad and Bulandshahar). Therefore, more precautions and better cooperation between Delhi and U.P. Police are necessary.

(v) DEMAND FOR INQUIRY INTO SPENDING OF FUNDS ALLOTTED FOR DEVELOPMENT OF AREAS IN MAHARASHTRA, KERALA, KARNATAKA AND TAMIL NADU STATES.

SHRI K. T. KOSALRAM (Tiruchendur): In the Sixth Plan, under the Special Central Assistance Programme for the development of Western Ghats region falling in the